Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सहायक लेखाधिकारी को 51 हजार रूपये एवं जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 3 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 दिसम्बर।* भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बुधवार को दो अलग–अलग कार्यवाहियां करते हुये भीलवाड़ा में उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय भगवत सिंह चौधरी को 51 हजार रूपये एवं जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपाल सिंह को 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी के नाम से स्टाम्प लाईसेन्स जारी करने हेतु दो वर्ष पूर्व आवेदन किया था लेकिन इस कार्य के लिए आरोपी सहायक लेखाधिकारी भगवत सिंह द्वारा 51 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज भीलवाड़ा में एसीबी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बृजराज सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **भगवत सिंह चौधरी, सहायक लेखाधिकारी** द्वितीय कार्यालय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को परिवादी से **51 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

साथ ही **एसीबी महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि एसीबी की जयपुर शहर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गयी कि उसके जी.पी.एफ. एवं बीमा क्लेम की राशि के भुगतान करने की एवज में आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपाल सिंह द्वारा 3 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज एसीबी जयपुर शहर तृतीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **गोपाल सिंह** पुत्र श्री खांग सिंह नि0 सीताविहार कॉलोनी, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर को परिवादी से **3 हजार रूपये की रिश्वत राशि** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा दोनों कारवाईयों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। **रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।**

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।